



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 39

पटना, बुधवार,

2 आश्विन 1947 (श10)

24 सितम्बर 2025(ई0)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्यव्यक्तिगतसूचनाएं।

02-05

भाग-1-क—स्वयंसेवकगुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।

भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि

भाग-2—बिहार-राज्यपाल औरकार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्चन्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।

भाग-4—बिहार अधिनियम

भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।

भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9—विज्ञापन

भाग-9-क—चन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

06-08

पूरक

पूरक-क

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

अधिसूचना

16 सितम्बर 2025

सं० 1/स्था० (2) 09/2023-4156—सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्त्रीनिंग समिति की दिनांक-22.08.2025 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार मत्स्य सेवा अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) को सहायक अभियंता (असैनिक) में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-9) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-

क्र० सं०	कनीय अभियंता का नाम	मूल पद
1	2	3
1.	श्री वृजबिहारी प्रसाद यादव, कनीय अभियंता, जिला मत्स्य कार्यालय, गोपालगंज।	कनीय अभियंता (असैनिक)

2. संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थापन पर ही उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे।
3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी अंतर राशि को भी वसूली कर ली जायेगी।
4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं०-4880/2017 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्धवादों में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
5. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गयी है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।
6. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक सहायक अभियंता (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-9) में उत्क्रमित किया जाता है।
7. उपर्युक्त पदाधिकारी का पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अभियंता के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीतेन्द्र कुमार, अवर सचिव।

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं

7 अगस्त 2025

सं० 7/शक्ति प्र०-13-01/2025 सा०प्र०-14694—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, राज्य के एक वर्ष से अधिक के जन्म और मृत्यु की विलंबित घटनाओं (वैसी घटना, जिसके घटित होने की सूचना एक वर्ष बाद दी गयी हो) के पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 के सम्मुख स्तम्भ-7 में अंकित पदाधिकारियों की विवरणी के अनुसार दंडाधिकारी नियुक्त करते हैं तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की धारा-15 के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की प्रदत्त शक्ति का केवल स्तम्भ-5 में अंकित प्रयोजन हेतु इसका प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	प्रखंड/ नगर निगम/ नगर परिषद्/ नगर पंचायत	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दंडाधिकारी	शक्ति प्रत्यायोजित पदाधिकारियों का पदनाम/ संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	राज्य के सभी प्रखंड	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक वर्ष	एक वर्ष से अधिक के जन्म और मृत्यु के पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	प्रत्येक प्रखंड के केवल प्रखंड विकास पदाधिकारी
2	राज्य के सभी नगर निगम (पटना नगर निगम को छोड़कर)	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक वर्ष	एक वर्ष से अधिक के जन्म और मृत्यु के पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	प्रत्येक नगर निगम के मात्र 02 कार्यपालक पदाधिकारी
3	पटना नगर निगम के अंतर्गत सभी अंचल	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक वर्ष	एक वर्ष से अधिक के जन्म और मृत्यु के पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	प्रत्येक अंचल के केवल कार्यपालक पदाधिकारी
4	राज्य के सभी नगर परिषद्	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक वर्ष	एक वर्ष से अधिक के जन्म और मृत्यु के पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	प्रत्येक नगर परिषद् के केवल कार्यपालक पदाधिकारी
5	राज्य के सभी नगर पंचायत	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक वर्ष	एक वर्ष से अधिक के जन्म और मृत्यु के पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	प्रत्येक नगर पंचायत के केवल कार्यपालक पदाधिकारी

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गुफरान अहमद, अपर सचिव।

19 अगस्त 2025

सं० 7/शक्ति प्र०-13-01/2024 सा०प्र०-15411—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को मधुबनी जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला दंडाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक-2857 दिनांक 12.08. 2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	चेहल्लूम त्योहार, 2025 के लिए	विधि व्यवस्था	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	मधुबनी

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

29 अगस्त 2025

सं० 7/शक्ति प्र०-13-01/2024 सा०प्र०-16227—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणों के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को सभी जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अनुसूची

क्र० स०	कार्मिक का नाम एवं पद नाम	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा, जिसके तहत शक्ति प्रदान की गयी है	तिथि/अवधि	प्रयोजन	दण्डाधिकारी (विशेष कार्यपालक/ कार्यपालक)	जिला का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4683 दिनांक 22.08. 2025 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक।	भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15	दिनांक 01.09.2025 से दिनांक 31.12.2025 तक	विधि व्यवस्था एवं अन्य उद्देश्य	विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी	सभी जिले

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार तिवारी, अवर सचिव।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

23 सितम्बर 2025

सं० डी1-19/2021-26—विभागीय अधिसूचना संख्या-ई2-15/2004-24-सह-पठित ज्ञापांक-2931 दिनांक 05.07.2016 द्वारा श्री कुमार शैलेश को बिहार निर्वाचन सेवा के अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर वेतनमान ₹9300-₹34800/-PB 2, ग्रेड पे ₹4800/-(चार वर्षों की सेवा (संपुष्टि सहित) के उपरान्त ₹15600-₹39100/-ग्रेड पे ₹5400/) में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए परीक्ष्यमान के रूप में पदभार ग्रहण की तिथि से अनुमंडल कार्यालय, सुपौल में पदस्थापित किया गया था।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 22.07.2008 को आहूत बैठक की कार्यवाही, मंत्रिपरिषद् के संलेख ज्ञापांक-11294 दिनांक 21.10.2008, सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक-9626 दिनांक 30.09.2009 एवं माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-16218/2021

कुमार शैलेश बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 17.06.2025 को पारित न्यायादेश की कंडिका-26 एवं 27 के आलोक में श्री कुमार शैलेश, सेवानिवृत्त अवर निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति, संपुष्टि एवं सेवानिवृत्ति के उपरांत सेवांत लाभ की स्वीकृति के संबंध में निम्नांकित निर्णय अधिसूचित किया जाता है :-

- श्री कुमार शैलेश की नियुक्ति संबंधी विभागीय अधिसूचना संख्या-ई2-15/2004-24-सह-पठित ज्ञापांक-2931 दिनांक 05.07.2016 को संशोधित करते हुए 36वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त श्री श्रीनिवास के द्वारा अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि-01.06.1992 के अनुरूप सैद्धांतिक रूप से श्री शैलेश के द्वारा उक्त पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि-01.06.1992 मानी जाती है।
- माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या-16218/2021 कुमार शैलेश बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 17.06.2025 को पारित न्यायादेश कंडिका-24 के आलोक में विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्ति हेतु इनके द्वारा समर्पित आवेदन दिनांक 27.12.2017 से उन्हें उक्त परीक्षा से विमुक्ति प्रदान की जाती है।
- श्री कुमार शैलेश की सेवा संपुष्टि सैद्धांतिक रूप से दिनांक 01.06.1994 एवं वास्तविक रूप से दिनांक 11.07.2018 से की जाती है।
- श्री कुमार शैलेश के वेतन निर्धारण/सेवांत लाभ की स्वीकृति के लिए दिनांक 22.07.2008 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में आहूत बैठक, मंत्रिपरिषद के संलेख ज्ञापांक-11294 दिनांक 21.10.2008 एवं सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग), बिहार, पटना के पत्रांक-9626 दिनांक 30.09.2009 के आलोक में प्रारम्भ से अवधि की गणना केवल वरीयता एवं वेतन निर्धारण के लिए अनुमान्य की जायेगी न कि नियुक्ति के पूर्व की अवधि के वेतन भुगतान के लिए।
- श्री कुमार शैलेश के सेवांत लाभ की स्वीकृति के लिए सेवा की परिगणना दिनांक 01.06.1992 से उक्त न्यायादेश एवं श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की जायेगी।

उपर्युक्त निर्णय के आलोक में श्री कुमार शैलेश के नियुक्ति संबंधी अधिसूचना संख्या-ई2-15/2004-24-सह-पठित ज्ञापांक-2931 दिनांक 05.07.2016 को निम्नवत उपांतरित करते हुए बिहार निर्वाचन सेवा नियमावली-2006 के भाग-3 के कंडिका-13 के आलोक में इनकी सेवा संपुष्टि की जाती है :-

क्रमांक	अवर निर्वाचन पदाधिकारी का नाम	प्रभार ग्रहण की तिथि	संपुष्टि की तिथि
1	2	3	4
1	श्री कुमार शैलेश	01.06.1992 (सैद्धांतिक) 11.07.2016 (वास्तविक)	01.06.1994 (सैद्धांतिक) 11.07.2018 (वास्तविक)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 27-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालयसूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No. 946--I, Sanjay Kumar Chaudhry S/o Bangali Chaudhry, R/o Vill-Girinda Chauk, Sheikhpura, P.S.+Distt.-Sheikhpura, Bihar-811105 do hereby solemnly affirm and declare as per aff, No. 844 dt. 13.06.2025 that my name is written in my son Amit's CBSE Class 12th Educational documents as Sanjay Kumar Chaudhary. In 10th all educational documents as Sanjay Kumar. As per Aadhar Card my correct name is Sanjay Kumar Chaudhry. From now I will be known as Sannjay Kumar Chaudhry for all purposes.

Sanjay Kumar Chaudhry.

No. 947--I, Prakash Pratap Singh S/o Late Umesh Kumar Singh, R/o Colony Mohalla-Railway Quarter No.-G/156-B, Brahampura, P.S.-Brahampura, P.O.-M.I.T., Distt-Muzaffarpur, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. no. 33109 dt. 06.08.2025 that my name is written in my Matriculation documents conducted by CBSE Board as Prakash Kumar Singh which is wrong. My Original and correct name is Prakash Pratap Singh. From now I will be known as Prakash Pratap Singh for all purposes.

Prakash Pratap Singh.

No. 948--I, Sukhdeo Prasad S/o Ram Prasad R/o Vill.-Shiv Nagar Jakariapur, P.O.-Badi Pahari, P.S. Agamkuan, Patna Bihar-800008, Permanent R/o Vill.+P.O. Konandpur, P.S.-Pakri Brawan, Kunanpur, Nawada, Bihar-805124 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-2549 dt. 25.07.25 that my name is written in my Aadhar card as Sukhadev Prasad. where in Pan card, P.P.O. written as Sukhdeo Prasad. Both names are same and one person. From now I will be known as Sukhdeo Prasad for all purposes.

Sukhdeo Prasad.

No. 964--I, Ajit Kumar S/o Late Banaras Sharma, R/o Vill+P.O-Hirdyachak, P.S.-Kaler, Distt.-Arwal, Bihar-824127 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 8580 dt. 29.05.2025 that Bala Jee (बाला जी) is my minor son. His name is written in his educational documents Birth and residence certificate as Bala Jee (बाला जी). Whereas in Aadhar Card written as BalaJee (बालाजी). Both names are same and one person. From now he will be known as Bala Jee (बाला जी) for all purposes.

Ajit Kumar.

No. 965--I Mrityunjay kumar Singh S/O Rajdhari Singh, R/o-Near DAV public school Narha panapur, Meghua, Nankardewa, East Champaran, Bihar-845406 hereby affirm and declare as follows Vide Affidavit No. 1148 dated 17.07.2025 That my correct name mentioned in Aadhar card as Mrityunjay Kumar Singh. That in my pention record my name incorrectly mentioned as Mritunjay Kumar Singh. That instead of Mritunjay Kumar Singh I shall be known as Mrityunjay Kumar Singh for all purposes.

Mrityunjay kumar Singh.

No. 966--I Krish S/O Shri Ranjit Kumar R/o Vill-Akbarbigha, P.O-Ramjanpur, P.S-Barbigha, Barbigha, Dist- Sheikhpura, Bihar-811101 declare vide affidavit no. 943 dated 11.07.2025 That my name is mentioned in my aadhar card and matriculation all educational certificate as Krish. That I am adding surname 'kumar' and shall be known as Krish kumar . Hence I shall be known as Krish kumar for all purposes.

Krish.

No. 967--I Rajkumar Shah, son of Late- Ramanand Sah, resident of ward no.-58, Badi Patan Devi South, Gulzarbagh, Alamganj, Patna City, Bihar-800007, do hereby declare and affirm as affidavit no. 3061 dated 30.08.25 that in the academic records of my son, Akshat Raj, related to his Class 10th examinations, my name has been incorrectly mentioned as Rajkumar. As per my Aadhaar Card, my correct name is Rajkumar Shah. The names Rajkumar and Rajkumar Shah refer to the same person, i.e., myself. Henceforth, I shall be known as Rajkumar Shah for all legal purposes.

Rajkumar Shah.

सं० 968--मैं दुर्गा प्रसाद गुप्ता पिता-रामा शंकर प्रसाद गुप्ता, निवासी-ग्राम पो०-आमी, थाना-दिघवारा, जिला-सारण, राज्य-बिहार मेरे पुत्र राहुल कुमार के मैट्रिक के प्रमाण पत्र में भूलवश मेरा नाम दुर्गा पी०डी० गुप्ता (Durga Pd. Gupta) हो गया है। अब से सभी कार्य हेतु मुझे दुर्गा प्रसाद गुप्ता (Durga Prasad Gupta) के नाम से जाना जाए। शपथ पत्र संख्या 22768 तिथि-08.07.2025.

दुर्गा प्रसाद गुप्ता।

No. 969--I, Kumari Garima D/o Pravin Kumar R/o Rajeshwar Sadan, Viswanath Nagar, Road No.-02, Begusarai, Bihar-851101 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 2854 dt. 26.06.2025 that my name is written in all educational and other documents as Kumari Garima. From now I shall be known as Garima Singh for all purposes.

Kumari Garima.

सं० 970--मैं, अजय कुमार, पिता-स्व. कामेश्वर प्रसाद, ग्राम-शेरपुर, थाना-अस्थवां, जिला-नालंदा, बिहार, शपथ पत्र सं.-577 दि. 12.08.25 द्वारा सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र अंजन कुमार के सी.बी.एस.ई. द्वारा आयोजित दसवीं बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम अजय प्रसाद अंकित है, जो गलत है। आधार कार्ड के अनुसार मेरा सही नाम अजय कुमार है। भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।

अजय कुमार।

No. 974--I, Abhinav Kumar S/o Ram Achal Thakur, R/o Vill-Sukhvasi, P.O-Damu, Distt.-Madhubani-847225, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-1954, dt 16.09.2025 that my name is written in my all documents including Aadhar Card as Abhinav Kumar. After persuing my P.hd (documents) it is necessary to add "DR" before my name so from now I will be known as Dr. Abhinav Kumar for all future purposes.

Abhinav Kumar.

No. 975--I, Divya Sinha W/o Alok Kumar, R/o Road No-03, Maurya Vihar Colony, West of BMP 16, P.S.-Khagaul, Distt.-Patna, Bihar-801105 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-912 dt. 26.08.2025 that Shaurya Alok is my minor son whose name is written in his Educational documents, Birth and residentiol certificate, whereas in Aadhar card written as Shaurya. Both names are same and one person. From now be will be known as Shaurya Alok for all purposes.

Divya Sinha.

No. 976--I, Harshit S/o Tiwary Kavindra Kumar, R/o Flat No. 102A, Shivam Heritage Appt. Ashiyana-Digha Road, Khajpura, Magistrate Colony, Patna-14 Vide Afd No. 3091 dt 06.08.2025 Add Surname Tiwary in my name Harshit to Harshit Tiwary for all future purpose.

Harshit.

No. 977--I, Kritika D/o Tiwary Kavindra Kumar R/o Flat No. 102A, Shivam Heritage Appt. Ashiyana-Digha Road, Khajpura, Magistrate Colony, Patna-14 Vide Afd No. 3092 dt 06.08.2025 Add Surname Tiwary in my name Kritika to Kritika Tiwary for all future purpose.

Kritika.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 27—571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>